

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)
(समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

आप.प्रकरण क्र. 235 / 13
संस्थित दि.: 18 / 03 / 13

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र बैहर,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

.....अभियोगी

विरुद्ध

मुकेश पिता ढालसिंह बिसेन, उम्र 35 साल, जाति पवार,
निवासी ग्राम भटलई थाना मलाजखण्ड, जिला बालाघाट (म.प्र.) आरोपी

—:: **निर्णय** ::—

(आज दिनांक 11/09/2014 को घोषित किया गया)

(01) आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 457, 380 का आरोप है कि आरोपी ने दिनांक 01/03/2013 को रात्रि के 11:00 बजे फरियादी के मकान की बाउण्ड्री बॉल के अन्दर चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित किया एवं बाउण्ड्री बॉल के अन्दर रखी मोटरसाइकिल एम.पी.50/एम.टी.3409 कीमत 65,000/—रुपये की चोरी कारित की।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी इरफान अली ने दिनांक 02.03.2013 को आरक्षी केन्द्र बैहर में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई कि दिनांक 01.03.2013 को उसने उसकी मोटरसाइकिल रात्रि 11:00 बजे बाउण्ड्री बॉल के अन्दर आंगन में रखकर गाड़ी को लॉक कर खाना खाकर सौ गया। सुबह 06:00 बजे उठकर देखा तो उसकी मोटरसाइकिल नहीं थी। आसपास तलाश किया मोटरसाइकिल नहीं मिली उसकी मोटरसाइकिल की कीमत 65,000/— रुपये थी। कोई अज्ञात चोर उसकी मोटरसाइकिल चोरी करके ले गया। फरियादी की रिपोर्ट पर से आरक्षी केन्द्र बैहर में अपराध क्रमांक 32/13 अन्तर्गत धारा 457, 380 भा.दं.वि. पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान आरोपी से पूछताछ कर आरोपी से मोटरसाइकिल जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 457, 380 के तहत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

(03) आरोपी को मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की

धारा 457, 380 का आरोप-पत्र विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा ।

(04) आरोपी का बचाव है कि वह निर्दोष है, पुलिस ने उसे झूठा फंसाया गया है।

(05) आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

(अ) क्या आरोपी ने दिनांक 01/03/2013 को रात्रि के 11:00 बजे फरियादी के मकान की बाउण्ड्री बॉल के अन्दर चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित किया ?

(ब) क्या आरोपी ने इसी दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी इरफान अली के मकान की बाउण्ड्री बॉल के अन्दर रखी मोटरसाइकिल एम.पी.50 / एम.टी.3409 कीमत 65,000 / -रुपये की चोरी कारित की ?

--:: सकारण निष्कर्ष ::--

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 'अ' एवं 'ब' :-

(06) प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए तथा साक्षियों की साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो, सुविधा की दृष्टि से विचारणीय बिन्दु 'अ' एवं 'ब' का एक साथ विचार किया जा रहा है।

(07) अभियोजन साक्षी/फरियादी इरफान अली (अ.सा.05) का कहना है कि घटना दिनांक 01.03.2013 को रात्रि 11:00 बजे उसने उसकी मोटरसाइकिल यमाह एम. पी.50/एम.डी.3409 को उसके घर की बाउण्ड्री के अन्दर आंगन में खड़ी करके खाना खाकर सौ गया। सुबह उठकर देखा तो उसकी मोटरसाइकिल आंगन में नहीं थी आसपास पता किया तो मोटरसाइकिल नहीं मिली उसकी मोटरसाइकिल की कीमत 65,000 / -रुपये थी। घटना की रिपोर्ट उसने थाना बैहर में की थी, जो प्रदर्श पी-05

है। पुलिस ने उसकी निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-04 बनाया था।

(08) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी जे.एल.बघाड़े (अ.सा.04) का भी कहना है कि फरियादी इरफान अली की मौखिक रिपोर्ट पर से उसने अपराध क्रमांक 32/13 अन्तर्गत धारा 457, 380 भा.दं.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की, जो प्रदर्श पी-05 है।

(09) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए विवेचनाकर्ता अभियोजन साक्षी राजकुमार (अ.सा.03) का भी कहना है कि उसने अपराध क्रमांक 32/13 की विवेचना के दौरान फरियादी की निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-04 बनाया था। आरोपी मुकेश को अभिरक्षा में दिनांक 03.03.2013 को लेकर पूछताछ करने पर चोरी कर मोटरसाइकिल सीमेन्ट फेक्ट्री के पास पुल से लगी झाड़ी में छिपा कर रखना बताया। आरोपी के द्वारा झाड़ी में से मोटरसाइकिल निकाल कर पेश करने पर चोरी की मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.50/एम.डी.3409 को जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-02 बनाया। प्रदर्श पी-04 की कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-03 बनाया। फरियादी इरफान अली एवं साक्षी जाकिर अली एवं सुरेन्द्र के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये।

(10) विवेचनाकर्ता के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी जाकिर अली (अ.सा.01) का भी कहना है कि घटना उसके कथन के एक वर्ष पुरानी है। उसके सामने आरोपी से पुलिस ने पूछताछ की थी और आरोपी ने प्रदर्श पी-01 का मेमो रेण्डम दिया था। आरोपी से कमल नगर से एक मोटरसाइकिल जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-02 बनाया था। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने यह स्पष्ट बताया है कि आरोपी ने पुलिस को बताया था कि मोटरसाइकिल चोरी करके उसने पुल के पास झाड़ी में छिपा कर रखी है और पुलिस ने आरोपी से मोटरसाइकिल जप्त की थी और उसके सामने पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-03 पर उसके हस्ताक्षर हैं।

(11) विवेचनाकर्ता के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी सुरेन्द्र (अ.सा.02) का भी कहना है कि आरोपी को पुलिस उसके सामने थाने पर लेकर आयी थी और कमल नगर से मोटरसाइकिल भी पुलिस थाने पर लाई थी और कार्यवाही की

थी। मेमोरेण्डम प्रदर्श पी-01, जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-02 एवं गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-03 पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने स्पष्ट बताया है कि आरोपी ने उसके सामने पुलिस को बताया था कि उसने मोटरसाइकिल याम्हा चोरी करके गार्डर पुल से लगी झाड़ियों में छिपाकर रखी है। आरोपी से मोटरसाइकिल जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया था। प्रदर्श पी-02 की कार्यवाही की थी।

(12) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता का बचाव है कि पुलिस ने झूठी विवेचना कर उसे फंसाया है। वह निर्दोष है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों में भी विरोधाभास है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी जाकिर एवं सुरेन्द्र को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद है। अतः सन्देह का लाभ आरोपी को दिया जाये।

(13) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता के बचाव पर विचार किया गया।

(14) अभियोजन साक्षी/फरियादी इरफाल अली (अ.सा.05) ने स्पष्ट कथन किये हैं कि घटना दिनांक 01.03.2013 को रात्रि 11:00 बजे उसने उसकी मोटरसाइकिल यमाह एम.पी.50/एम.डी.3409 को उसके घर की बाउण्ड्री के अन्दर आंगन में खड़ी करके खाना खाकर सो गया। सुबह उठकर देखा तो उसकी मोटरसाइकिल आंगन में नहीं थी आसपास पता किया तो मोटरसाइकिल नहीं मिली उसकी मोटरसाइकिल की कीमत 65,000/-रुपये थी। घटना की रिपोर्ट उसने थाना बैहर में की थी, जो प्रदर्श पी-05 है। पुलिस ने उसकी निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-04 बनाया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में भी बताया है कि उसकी मोटरसाइकिल आरोपी के पास से मिली थी और आरोपी मोटरसाइकिल धकेलते हुये ले जा रहा था। साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में भी ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है, जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(15) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी जे.एल.बघाड़े (अ.सा.04) ने भी स्पष्ट कथन किये हैं कि फरियादी इरफान अली की मौखिक रिपोर्ट पर से उसने अपराध क्रमांक 32/13 अन्तर्गत धारा 457, 380 भा.दं.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की, जो प्रदर्श पी-05 है। साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में भी ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है, जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(16) विवेचनाकर्ता अभियोजन साक्षी राजकुमार (अ.सा.03) ने भी स्पष्ट कथन किये हैं कि उसने अपराध क्रमांक 32 / 13 की विवेचना के दौरान फरियादी की निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-04 बनाया था। आरोपी मुकेश को अभिरक्षा में दिनांक 03.03.2013 को लेकर पूछताछ करने पर चोरी कर मोटरसाइकिल सीमेन्ट फेक्ट्री के पास पुल से लगी झाड़ी में छिपा कर रखना बताया। आरोपी के द्वारा झाड़ी में से मोटरसाइकिल निकाल कर पेश करने पर चोरी की मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.50 / एम.डी.3409 को जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-02 बनाया। प्रदर्श पी-04 की कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-03 बनाया। फरियादी इरफान अली एवं साक्षी जाकिर अली एवं सुरेन्द्र के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये। साक्षी के कथनों का प्रतिपरीक्षण में भी ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है, जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(17) विवेचनाकर्ता एवं फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी जाकिर अली (अ.सा.01) ने भी स्पष्ट कथन किये हैं कि घटना उसके कथन के एक वर्ष पुरानी है। उसके सामने आरोपी से पुलिस ने पूछताछ की थी और आरोपी ने प्रदर्श पी-01 का मेमो रेण्डम दिया था। आरोपी से कमल नगर से एक मोटरसाइकिल जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-02 बनाया था। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने यह स्पष्ट बताया है कि आरोपी ने पुलिस को बताया था कि मोटरसाइकिल चोरी करके उसने पुल के पास झाड़ी में छिपा कर रखी है और पुलिस ने आरोपी से मोटरसाइकिल जप्त की थी और उसके सामने पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-03 पर उसके हस्ताक्षर हैं।

(18) फरियादी एवं विवेचनाकर्ता के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी सुरेन्द्र (अ.सा.02) ने भी स्पष्ट कथन किये हैं कि आरोपी को पुलिस उसके सामने थाने पर लेकर आयी थी और कमलनगर से मोटरसाइकिल भी पुलिस थाने पर लाई थी और कार्यवाही की थी। मेमोरेण्डम प्रदर्श पी-01, जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-02 एवं गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-03 पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने स्पष्ट बताया है कि आरोपी ने उसके सामने पुलिस को बताया था कि उसने मोटरसाइकिल याम्हा चोरी करके गार्डर

पुल से लगी झाड़ियों में छिपाकर रखी है। आरोपी से मोटरसाइकिल जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया था।

(19) अभियोजन साक्षी/फरियादी इरफाल अली (अ.सा.05) एवं साक्षी राजकुमार (अ.सा.03), जे.एल.बघाड़े (अ.सा.04), जाकिल अली (अ.सा.01), सुरेन्द्र (अ.सा.02) के कथनों में ऐसा कोई गम्भीर विरोधाभास नहीं आया है, जिससे अभियोजन द्वारा प्रस्तुत इन साक्षियों के कथनों पर अविश्वास किया जाये और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत इन साक्षियों के कथनों का प्रतिपरीक्षण में भी ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है, जिससे अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद कहा जाये।

(20) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता का तर्क है कि आरोपी को पुलिस ने झूठी विवेचना कर असत्य आधार पर झूठा फंसाया गया है, किन्तु बचाव में ऐसा कोई प्रमाण पेश नहीं किया, जिससे यह प्रकट होता है कि आरोपी को पुलिस ने झूठी विवेचना कर असत्य कथनों के आधार पर फंसाया है।

(21) उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है कि आरोपी मुकेश बिसेन ने दिनांक 01/03/2013 को रात्रि के 11:00 बजे फरियादी के मकान की बाउण्ड्री बॉल के अन्दर चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित किया एवं बाउण्ड्री बॉल के अन्दर रखी मोटरसाइकिल एम.पी.50/एम.टी.3409 कीमत 65,000/-रुपये की चोरी कारित की।

(22) परिणाम स्वरूप आरोपी मुकेश बिसेन को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 457, 380 के अन्तर्गत दोषसिद्ध पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

(23) प्रकरण में आरोपी मुकेश बिसेन पूर्व से जमानत पर है, उसके पक्ष में पूर्व के निष्पादित जमानत एवं मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं। आरोपी मुकेश बिसेन को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

(24) दण्ड के प्रश्न पर सुन जाने के लिए निर्णय कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

पुनश्च :-

- (25) दण्ड के प्रश्न पर आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता को सुना गया।
- (26) आरोपी मुकेश बिसेन के अधिवक्ता ने व्यक्त किया कि आरोपी मुकेश बिसेन का यह प्रथम अपराध है। आरोपी मुकेश बिसेन की पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी अभिलेख पर कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। आरोपी मुकेश बिसेन नवयुवक होकर मजदूर पेशा व्यक्ति है। अतः उसे कम से कम अर्थदण्ड से दण्डित किया जावे।
- (27) आरोपी मुकेश बिसेन के अधिवक्ता के तर्क पर विचार किया गया।
- (28) प्रकरण का अवलोकन किया गया।
- (29) आरोपी मुकेश बिसेन की पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी अभिलेख पर कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। आरोपी मजदूर पेशा व्यक्ति एवं नवयुवक होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। किन्तु आरोपी मुकेश बिसेन ने दिनांक 01/03/2013 को रात्रि के 11:00 बजे फरियादी के मकान की बाउण्ड्री बॉल के अन्दर चोरी करने के आशय से प्रवेश कर रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित किया एवं बाउण्ड्री बॉल के अन्दर रखी मोटरसाइकिल एम.पी.50/एम.टी.3409 कीमत 65,000/-रुपये की चोरी कारित की। आरोपी मुकेश बिसेन द्वारा कारित अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी मुकेश बिसेन को कम से कम अर्थदण्ड एवं सजा से दण्डित करना उचित नहीं पाता हूँ। आरोपी मुकेश बिसेन द्वारा कारित अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी मुकेश बिसेन को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 457 के आरोप में दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं 500/-रुपये के अर्थदण्ड तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 380 के आरोप में दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं 500/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर आरोपी मुकेश बिसेन को एक-एक माह का साधारण कारावास की सजा पृथक से भुगताई जावे। आरोपी मुकेश बिसेन को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 457, 380 के आरोप में दी गई दो-दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा एक साथ एक साथ भुगताई जावे।
- (30) आरोपी मुकेश बिसेन द्वारा निरोध में व्यतीत की गई अवधि के संबंध में द.प्र.सं. की धारा 428 के प्रावधानों के अनुरूप निरोध की अवधि का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

(31) प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.50/ए.डी.3409 कीमती 65,000/- रुपये सुपुर्दगी पर है। सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् भारमुक्त हो। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

(32) निर्णय की एक प्रति आरोपी मुकेश बिसेन को निःशुल्क दी जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित
किया गया।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर जिला बालाघाट (म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)